–F.No. 180 V.

V

बि०स०मु०, पटना। X
फरद मालकी / फरद रैयती। 92 १०८V
नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी।
वो सकुनत। नम्बर।

00340947

रसीद मालगुजारी
नाम सर्कल। नाम मौजा मय
थाना वो थाना नम्बर

जगदीशपुर वार्ड सुशील कुमार मागडिया

अराजी नगदी | अराजी भावली | तफसील हिसाब लगान भावली।

०४३३ है. | पिता स्व. वासुदेव प्र. मागडिया

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबत ४०१३-१४	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
माल– (नकदी)	१५=०					१५=०
गुजारी (भावली)						
सेस ...						
*सुद ...	६=०					६=०
मुतफरकात ...						
मीजान	१८=०					१८=०

१८=०

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत ४०१३-१४	बकाया				मोतालबा हाल	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
माल– (नकदी)					१५=०	
गुजारी (भावली)						
सेस ...						
*सुद ...					६=०	
मुतफरकात ...						
मीजान अदायकारी					१८=०	

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) — अठारह रुपये
(2) नाम देहिन्दा — ४ पृ
(3) कुल बकाया — ×

दस्खत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकाया पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

बि.स.मु.(राजस्व) 1–2011

४०१३
१८४

विनय
१६४

[signature]

Sch. XIV.—F.No. 1[illegible]

रसीद मालगुजारी

नाम सर्कल। नाम मौजा मय थाना वो थाना नम्बर

V

बि०स०मु०, पटना। X/92 १०५०

फरद मालकी / फरद रैयती।

नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी।

वो सकुनत। नम्बर।

00340948

जगदीशपुर बाई — राजेश कुमार मावाडिया

अराजी नगदी | अराजी भावली | तफसील हिसाब लगान भावली।

०४३३ [illegible] — पिता — स्व० वासुदेव प्रा मावाडिया

जोत का सालाना माग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

माग बाबत ४०१३-१४	सालाना	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	हाल
माल— (नकदी)	१५=०					१५=०
गुजारी (भावली)						
सेस ...						
*सुद ...	६=०					६=०
मुतफरकात ...						
मीजान	१८=०					१८=०

१८=०

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत ४०१३-१४	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	मोतालबा हाल	फाजिल
माल— (नकदी)					१५=०	
गुजारी (भावली)						
सेस ...						
*सुद ...					६=०	
मुतफरकात ...						
मीजान अदायकारी					१८=०	

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) — [illegible]

(2) नाम देहिन्दा — [illegible]

(3) कुल बकाया — [illegible]

दस्खत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

बि.स.मु.(राजस्व) 1—2011

[illegible] ४८४ | [illegible] ४६४

[illegible] 06/13

Sch. XIV.—F.No.

रसीद मालगुजारी

नाम सर्कल। नाम मौजा मय

थाना वो थाना नम्बर

V

बि0स0मु0. पटना। X

फरद मालकी / फरद रैयती। 92 9049

नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी।

वो सकुनत। नम्बर।

00340949

जगदीश पू० वार्ड नाट कृष्ण मा०१४ ५०१

अराजी नगदी | अराजी भावली | तफसील हिसाब लगान भावली।

.0433 हे० | [illegible] वासुदेव [illegible]

जोत का सालाना माग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

माग बाबत 2013-14	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
माल– (नकदी)	92=0					92=
गुजारी (भावली)						
सेस ...						
*सुद ...	6=0					6=
मुतफरकात ...						
मीजान	98=					98=

98=

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत 2018-19	बकाया				मोतालबा हाल	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
माल– (नकदी)					92=0	
गुजारी (भावली)						
सेस ...						
*सुद ...					6=0	
मुतफरकात ...						
मीजान अदायकारी					98=	

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) — [illegible]

(2) नाम देहिन्दा — [illegible]

(3) कुल बकाया — [illegible]

दस्खत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

बि.स.मु.(राजस्व) 1–2011

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भागलपुर नगर निगम
BHAGALPUR MUNICIPAL CORPORATION

बी. नगर निगम प्रपत्र संख्या 19 (नियम 24 (1))

रसीद संख्या : 53974

☑ रोकड़ ☐ बैंक

तिथि : 22/03/2017

श्री/श्रीमती बालकृष्ण मावंडिया पिता स्व० वासुदेव मावंडिया

वार्ड सं. 19 होल्डिंग सं. 59 गली/लेन आर० एन० अग्रवाल रोड से

रुपया मो० एक हजार तेरह रुपये मात्र (रु० 1013.00)

चेक/ड्राफ्ट नम्बर ..... तिथि ..... बैंक .....

द्वारा निर्गत सम्पत्ति संख्या असेसमेन्ट संख्या ..... हेतु प्राप्त किया।

क्रम संख्या	एकाउन्ट कोड	विवरण	अवधि (A/H/Q/M)	राशि
1		सम्पत्ति कर 929.	I-IV 2016-17	929.00
2		जल शुल्क		
3		व्यापार अनुज्ञप्ति फीस		
4		विकास शुल्क		
5		जीवन मृत्यु शुल्क		
6		दंड	Add-	84.00
7		कुल		1013.00

पूर्ण लेख : चेक/ड्राफ्ट से चेक की वैधता राशि मिलने के बाद ही मानी जायेगी।

हस्ताक्षर

भागलपुर नगर निगम
BHAGALPUR MUNICIPAL CORPORATION

प्रपत्र संख्या 15 (नियम 24 (1))

रसीद संख्या : 53975

☑ रोकड़ ☐ बैंक

तिथि : 22/03/2017

श्री/श्रीमती राजेश कुमार मावंडिया पिता- स्व० वासुदेव मावंडिया

वार्ड सं. 19 होल्डिंग सं. 5900 गली/लेन आर० एन० अग्रवाल रोड से

रुपया मात्र एकहजार तेरह रुपये मात्र — (रु० 1013=00)

चेक/ड्राफ्ट नम्बर ..... तिथि ..... बैंक .....

द्वारा निर्गत सम्पत्ति संख्या असेसमेन्ट संख्या ..... हेतु प्राप्त किया।

क्रम संख्या	एकाउन्ट कोड	विवरण	अवधि (A/H/Q/M)	राशि
1		✓ सम्पत्ति कर 929.	1-IV 2016-17	929=00
2		जल शुल्क		
3		व्यापार अनुज्ञप्ति फीस		
4		विकास शुल्क		
5		जीवन मृत्यु शुल्क		
6		दंड	Add.	84=00
7		कुल		1013=00

हस्ताक्षर

पूर्ण लेख : चेक/ड्राफ्ट से चेक की वैधता राशि मिलने के बाद ही मानी जायेगी।

बी.एम.ए.आर. प्रपत्र संख्या
15 (नियम 24 (1))

भागलपुर नगर निगम
BHAGALPUR MUNICIPAL CORPORATION

रसीद संख्या : 53976

☑ रोकड़ ☐ बैंक

तिथि : 22/03/2017

श्री/श्रीमती सुशील कुमार मार्वाडिया पिता-स्व० वासुदेव मार्वाडिया

वार्ड सं. 19 होल्डिंग सं. 59 पी० गली/लेन आर० एन० अग्रवाल रोड से

रुपया मो० एक हजार तेरह रुपये मात्र — (रु० 1013=00)

चेक/ड्राफ्ट नम्बर ..... तिथि ..... बैंक .....

द्वारा निर्गत सम्पत्ति संख्या असेसमेन्ट संख्या ..... हेतु प्राप्त किया।

क्रम संख्या	एकाउन्ट कोड	विवरण	अवधि (A/H/Q/M)	राशि
1		सम्पत्ति कर 929.	I-IV 2016-17	929=00
2		जल शुल्क		
3		व्यापार अनुज्ञप्ति फीस		
4		विकास शुल्क		
5		जीवन मृत्यु शुल्क		
6		दंड	Add.	84=00
7		कुल		1013=00

हस्ताक्षर

पूर्ण लेख : चेक/ड्राफ्ट से चेक की वैधता राशि मिलने के बाद ही मानी जायेगी।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

19 MAY 2011

श्री राजेश कुमार मावंडिया पिता चुनिहारी टोला, भागलपुर

C 576598

100

30/04/11

अशोक कुमार साहा
मुद्रांक विक्रेता सदर कोर्ट भागलपुर
मा० न०-14/87-88

19-7-11

PRAKASH NARAYAN NOTARY BHAGALPUR GOVT. OF BIHAR

नाम लेख्यकारीगण :–

(1)) श्री विजय कुमार मावंडिया पिता स्वर्गीय वासुदेव प्रसाद मावंडिया , जाति अग्रवाल (हिन्दू) पेशा व्यापार वगैरह, निवासी मोहल्ला चुनिहारी टोला, रामेश्वर नारायण अग्रवाल रोड़, थाना कोतवाली, अन्दर शहर, निबंधन कार्यालय वो जिला भागलपुर, वर्तमान निवासी अपोजिट गोदाम न. 7, 22 गोदाम , जयपुर।

– लेख्यकारी प्रथम पक्ष

एवं

(2) श्री बाल कृष्ण मावंडिया पिता स्वर्गीय वासुदेव प्रसाद मावंडिया , जाति अग्रवाल (हिन्दू) पेशा व्यापार वगैरह, निवासी मोहल्ला चुनिहारी टोला, रामेश्वर नारायण अग्रवाल रोड़, थाना कोतवाली, अन्दर शहर, निबंधन कार्यालय वो जिला भागलपुर ।

– लेख्यकारी द्वितीय पक्ष

एवं

(3) श्री राजेश कुमार मावंडिया पिता स्वर्गीय वासुदेव प्रसाद मावंडिया , जाति अग्रवाल (हिन्दू) पेशा व्यापार वगैरह, निवासी मोहल्ला चुनिहारी

Pushpa Devi Sarad 30-4-2011

Sarita Agrawal 30-4-2011

Renu Agrawal 30-4-2011

JAI PRAKASH NARAYAN NOTARY BHAGALPUR GOVT. OF BIHAR

Bijoy Kumar Mawandia 30-4-2011

Balkrishna mawandia 30-4-2011

Rajesh Kumar Mawandia 30-4-2011

Sushil Kumar Mawandia 30-4-2011

टोला, रामेश्वर नारायण अग्रवाल रोड़, थाना कोतवाली, अन्दर शहर, निबंधन कार्यालय वो जिला भागलपुर।

— लेख्यकारी तृतीय पक्ष

एवं

(4) श्री सुशील कुमार मावंडिया पिता स्वर्गीय वासुदेव प्रसाद मावंडिया, जाति अग्रवाल (हिन्दू) पेशा व्यापार वगैरह, निवासी मोहल्ला चुनिहारी टोला, रामेश्वर नारायण अग्रवाल रोड़, थाना कोतवाली, अन्दर शहर, निबंधन कार्यालय वो जिला भागलपुर।

— लेख्यकारी चर्तुथ पक्ष

एवं

(5) श्रीमति पुष्पा देवी सर्राफ पति श्री जोगेन्द्र सर्राफ, (6) श्रीमति रेणु अग्रवाल पति श्री रतन कुमार अग्रवाल, एवं (7) श्रीमति सरीता देवी अग्रवाल पति श्री गोपाल अग्रवाल, लेख्यकारी न0 5 लगाायत 7 सभी पुत्री स्वर्गीय वासुदेव प्रसाद मावंडिया, जाति अग्रवाल (हिन्दू) पेशा व्यापार वगैरह, निवासी मोहल्ला चुनिहारी टोला, रामेश्वर नारायण अग्रवाल रोड़, थाना कोतवाली, अन्दर शहर, निबंधन कार्यालय वो जिला भागलपुर।

— लेख्यकारी पंचम पक्ष

2. नाम लेख्यधारी वहक जिसके दस्तावेज तामील होगा :— वहक एक दूसरे के।

3. किसीम दस्तावेज —मेमोरेन्डम ऑफ पार्टीसन (यादास्त बँटवारानामा सह फेमिली अरेंन्जमेंट)

4. तायदाद जरेसम्मनः— आपुसी सहमती के आधार पर।

5. सम्पति विवरण :—

सिडुयल जायदाद

(तालिका जायदाद, जो पक्षकार दस्तावेज हाजा के बीच आपसी सहमति वो रजामंदी से आपस में बँटवारा किया गया, जिसका पुरा विवरण नीचे दिया गया है)

क्रमांक :— 1

हक हिस्सा सोलह आना, निस्वत अराजी वसोवासी मय पुराना रेहायसी मकान, जिस तरह अराजी मजकुर पर वाके है, मय कुल लेवाजमात, मय कुल हक हकुक हवा वो रोशनी वो पानी निकासी के, अराजी मवाजी लगभग 7534.74

Bijoy Kumar Mawandia 30.4.2011

Balkrishna Mawandia 30-4-2011

Rajesh Kumar Mawandia 30-4-2011

Susil Kumar Mawandia 30-4-2011

Pushpa Devi Saraf 30-4-2011

Sarita Agrawal 30-4-2011

Renu Agrawal 30-4-2011

PRAKASH NARAYAN NOTARY BHAGALPUR 30/4/11 GOVT. OF BIHAR

वर्गफीट लगभग, जो कि अंचल जगदीशपुर के जमाबंदी के अनुसार .0700 हैक्टर है। वाके महल्ला चुनिहारी टोला, रामेश्वर नारायण अग्रवाल रोड़, भागलपुर, अन्दर भागलपुर नगर निगम, वार्ड संख्या 3/8 पुराना एवं वर्तमान वार्ड संख्या 19 में अवस्थित है। तथा जिसका साबिक होल्डिंग नं0 27 तथा वर्तमान होल्डिंग न0 59 है, अन्दर थाना कोतवाली, निबंधन कार्यालय वो जिला भागलपुर के हैं। अंचल जगदीशपुर, वजमींदारी बिहार सरकार तथा जिसका सर्वे खाता नं0 284 खेसरा नं0 279 वो सर्वे वार्ड संख्या 8 अन्दर जमाबंदी न0 284 है। उपरोक्त वर्णीत जायदाद की चौहद्दी निम्नलिखित है ।

उत्तर :– कॉमन गली, वादहुँ अंजनी कु0 मावंडिया वगैरह
दक्षिण :– खण्डेलवाल परीवार वो स्व0 डा0 युनुस परिवार
पुरव :– रामेश्वर नारायण अग्रवाल रोड़
पंश्चिम :– स्व0. डा0 युनुस परिवार वो आजाद ट्रांसपोर्ट परिवार

NOTARY BHAGALPUR 30-4-11 GOVT. OF BIHAR

क्रमांक :– 2

वासुदेव प्रसाद मावंडिया HUF के नाम से युनियन बैंक, भागलपुर शाखा के बैंक बचत खाता संख्या 347302010011377 में दिनांक 31.03.2011 को बैंक में कुल जमा राशी मोवलग 17,99,413/– रूपैया अलावे 2103/70 पैसा नगद राशी उनके नाम से जमा चला आता है । इसके अलावा वासुदेव मावंडिया HUF के नाम से, जो रकम वतौर कर्ज के जिन जिन व्यक्ति वो लोगों के पास जमा है, उनमें मोवलग 9,40,000/– नो लाख चालीस हजार रूपैया, श्री विजय कुमार मावंडिया (लेख्यकारी प्रथम पक्ष) के यहॉ, मोवलग 11,14 278/– ग्यारह लाख चौदह हजार दो सौ अठहत्तर रूपैया श्री वालकृष्ण मावंडिया (लेख्यकारी द्वितीय पक्ष) के यहॉ, मोवलग 9,40,000/– नो लाख चालीस हजार रूपैया, श्री राजेश कुमार मावंडिया (लेख्यकारी तृतीय पक्ष) के यहॉ, मोवलग 85,000/– पचासी हजार रूपैया मनीष कुमार मावंडिया के यहॉ, मोवलग 1,63,763/– एक लाख तिरसठ हजार सात सौ तिरसठ रूपैया श्री गिरधर गोपाल मावंडिया के यहॉ तथा मोवलग 1,13,600/– एक लाख तेरह हजार छः सौ रूपैया श्रीमति बबीता मावंडिया के यहॉ उस दिन तक के व्याज सहित जमा रकम का बॅटवारा चारों भाईयों (लेख्यकारी प्रथम पक्ष लगायत लेख्यकारी चर्तुथ पक्ष) के बीच किया गया, जिसका पुरा विवरण नीचे दिया गया है।

Pushpa Devi Sarat 30-4-2011

Sarita Agrawal 30-4-2011

संदर्भ

यह कि दस्तावेज के तालिका खाना नं0 5 में वर्णीत सम्पत्ति, लेख्यकारीगण की पुस्तैनी जायदाद है, जिसे लेख्यकारीगण के दादा स्व0 लोकनाथ मावंडिया पिता स्व0 लादुराम मावंडिया ने अपने जीवनकाल में बजरीये निबंधित केवाला दस्तावेज दिनांक 14.08.1936 ई0 को बाबु सुरज मल मारवाड़ी वगैरह से खरीदकर हासिल किया था। जिसका दस्तावेज संख्या 2798 निबंधन

Bijoy Kumar Mawandia 30.4.2011

Balkrishna Mawandia 30-4-2011

Renu Agrawal 30-4-2011

Rajesh Kumar Mawandia 30-4-2011

Susil Kumar Mawandia 30-4-2011

कार्यालय, भागलपुर के है। उक्त जायदाद पर बाबु लोकनाथ मावंडिया वहैसियत सोलह आना मालिक के वतारीख खरीदगी से अपने जीवनकाल तक दखलकार चले आते थे।

यह कि बाद स्वंगवास लोकनाथ मावंडिया के, उनकी तमाम जायदाद के **सोलह आना मालिक उनके एक मात्र पुत्र वासुदेव प्रसाद मावंडिया हुअे, जो कि** लेख्यकारीगण दस्तावेज हाजा के पिता है, जिनका नाम भागलपुर नगर निगम पंजी में, दस्तावेज के तालिका खाना न0 5 में वर्णीत सम्पत्ति पर दर्ज चला आता है तथा सर्वे खतियान में भी उनका नाम दर्ज होकर, जगदीशपुर अंचल कार्यालय में जमाबंदी वासुदेव प्रसाद मावंडिया के नाम से चला आता है।

यह कि वासुदेव प्रसाद मावंडिया तथा उनकी पत्नी शारदा देवी का भी स्वंगवास अरसा बहुत साल पहले हो गया। वे अपने पिछे अपने चार पुत्रों वो तीन पुत्रीयों को छोड़कर मरे, जो कि इस दस्तावेज में वहैसियत लेख्यकारी के सम्मिलित है। उक्त वासुदेव प्रसाद मावंडिया तथा उनकी पत्नी शारदा देवी के स्वर्गवास के बाद उनकी तमाम कुल चल वो अचल सम्पत्ति के मालिकान उनके वारीसान (लेख्यकारीगण) दस्तावेज हाजा वहैसियत सोलह आना मालिकान के संयुक्त रूप से दखलकार हुअे। चुँकि स्व0 वासुदेव प्रसाद मांवडिया की तीनों पुत्रीयाँ, जो कि इस दस्तावेज में लेख्यकारी पंचम पक्ष की हैसियत से शामिल है, इनी शादी शुदा है तथा अपने अपने ससुराल में अपने अपने पति वो बच्चों के साथ खुशहाल वो सुखी सम्पन्न जीवन व्यतीत करती चली आती है। उन्होने अपने माता पिता की किसी भी पैत्रिक चल वो अचल सम्पत्ति में स्वेच्छा से कोई भी हिस्सा लेना स्वीकार नही किया, अपना अपना कुल हक, दावा वो अधिकार जो कुछ भी उन्हें उक्त पैत्रिक चल वो अचल सम्पत्ति के निस्वत हासिल था या आईन्दे हासिल होता, वह सब कुल हक, दावा वो अधिकार अपने चारों भाईयों (लेख्यकारी प्रथम पक्ष लगायत लेख्यकारी चतुर्थ पक्ष के हक में छोड दिया वो हटा लिया। इस कारण उपरोक्त वासुदेव प्रसाद मावंडिया तथा उनकी पत्नी शारदा देवी के स्वंगवास के बाद, दस्तावेज के तालिका खाना न0 5 के क्रमांक 1. में वर्णीत अचल पैत्रिक सम्पत्ति (जो कि रेहायसी पैत्रिक मकान है) पर उनके चार पुत्र लेख्यकारी प्रथम पक्ष लगायत लेख्यकारी चतुर्थ पक्ष वहैसियत कर्त्ता खानदान अपने अपने परिवार के संयुक्त रूप से सोलह आना मालिक की हैसियत से वहिस्सा बराबर (यानि की ¼ हिस्सा) के दखलकार चले आते थे। इसके अलावा वासुदेव प्रसाद मावंडिया HUF के नाम से एक बैंक खाता भी चला आता है, तथा उपरोक्त HUF के नाम से कुछ रकम हिस्सेदार वो अन्य लोगों के पास वतौर कर्ज के ब्याज पर जमा है तथा जो रकम मय ब्याज उनसे प्राप्त करना है, उसका पुरा विवरण दस्तावेज के तालिका खाना न0 5 के क्रमांक 2. में दिया गया है, जिसमें पैत्रिक चल सम्पत्ति तथा उससे प्राप्त आमदनी वो कर्ज आदि के रूप में जमा दी गई रकम का लेखा जोखा है, उस पर भी स्व0 वासुदेव प्रसाद मावंडिया के चारों पुत्र (लेख्यकारी प्रथम पक्ष लगायत लेख्यकारी चतुर्थ पक्ष)

JAI PRAKASH NARAYAN NOTARY BHAGALPUR GOVT. OF BIHAR

Bijoy Kumar Mawandia 30-4-2011

Balkrishna Mawandia 30-4-2011

Ramesh Kumar Mawandia 30-4-2011

Susil Kumar Mawandia 30-4-2011

Sanjiv Agrawal Pushpa Devi Sarawgi 30-4-2011

Renu Agrawal 30.4.2011

संयुक्त रूप से वहिस्सा बराबर (यानि की ¼ हिस्सा) के संयुक्त रूप से हकदार चले आते थे।

यह कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष लगायत लेख्यकारी चतुर्थ पक्ष के अपने अपने परिवार बढ़ने तथा परिवार के कुछ सदस्यों के अन्यत्र स्थायी वो अस्थायी रूप से निवास वो कारोबार करने के कारण, तालिका खाना न0 5 के क्रमांक 1 वो 2 में वर्णीत पैत्रिक चल वो अचल सम्पत्ति को संयुक्त रूप में रखने में, काफी कठिनाई वो परेशानी हाने लगी, जिस कारण परिवार में तनाव वो अशान्ति होने लगी। इसलिये परिवार में शान्ती वो सदभाव बनाये रखने के लिये, परिवार के चन्द आपसी रिस्तदारों वो शुभ चिन्तकों के प्रयास से तालिका खाना न0 5 के क्रमांक 1 वो 2 में वर्णीत अचल वो चल सम्पत्ति को बॉट देने का निश्चय किया, जिसे सभी पक्षों ने भी सहर्ष स्वीकार किया।

यह कि चुँकि लेख्यकारी पंचम पक्ष, जो कि लेख्यकारी प्रथम पक्ष लगायत चतुर्थ पक्ष की बहनें है, ने उक्त चल वो अचल सम्पत्ति में कोई हिस्सा लेना स्वीकार वो मंजुर नही किया था तथा अपने हिस्से की सम्पत्ति को अपने भाईयों के हक में छोड़ दिया था। इसी प्रकार उक्त चारों भाईयों में से एक भाई श्री विजय कुमार मावंडिया (लेख्यकारी प्रथम पक्ष) जो कि पिछले कई वर्षो से अपने परिवार सहित स्थायी रूप से जयपुर (राजस्थान) में रहते वो कोराबार करते चले आते है, ने भी केवल पैत्रिक अचल सम्पत्ति में (जिसका पुरा बिबरण दस्तावेज के तालिका खाना न0. 5 के क्रमांक 1 में दिया गया है) कोई हिस्सा लेना स्वीकार नही किया, बल्कि अपने अन्य तीनों भाईयों, जो कि वर्तमान में स्थायी रूप से अपने अपने परिवार सहित, भागलपुर शहर में उक्त रेहायशी मकान में रहते चले आते है, उनके हक में छोड़ दिया, इसलिये सभी पक्षों की आपसी सहमति वो रजामंदी से वो आपसी सहुलियत वो सामंजस्य तथा संभावित परिस्थितियों को देखते हुअे दस्तावेज के तालिका खाना न0 5 के क्रमांक 1 में वर्णीत अचल पैत्रिक सम्पत्ति का तीन भाईयों (लेख्यकारी द्वितीय पक्ष, तृतीय पक्ष वो चतुर्थ पक्ष) के बीच बराबर बराबर बॅटवारा कर दिया गया तथा तालिका खाना न0 5 के क्रमांक 2 में वर्णीत बैक में तथा अन्य हिस्सेदारों वो दिगर व्यक्तियों के यहॉ जमा चल सम्पत्ति का बॅटवारा चारों भाईयों (लेख्यकारी प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, तृतीय पक्ष वो चतुर्थ पक्ष) के बीच बराबर बराबर सभी पक्षों की मौजुदगी में आपसी सहमति के आधार पर बॅटवारा दिनांक 01.04.2011 ई0 को कर दिया था, जिसे सभी पक्षों ने स्वीकार वो मंजुर किया और जिस जिस पक्ष को बॅटवारा में जो जो हिस्सा अचल वो चल सम्पत्ति वो केवल चल सम्पत्ति में मिला, वह वह पक्ष अपने अपने हिस्से की सम्पत्ति पर वतारीख उक्त आपसी मौखिक बॅटवारा के दिनांक 01.04.2011 के आधार पर वहैसियत सोलह आना मालिक के दखलकार है वो चले आते है।

यह कि चुँकि उपरोक्त आपसी बॅटवारा का कोई लिखित प्रमाण पक्षकार दस्तावेज हाजा के बीच नहीं है, जिस कारण जिस जिस पक्ष को, जो जो

Bijoy Kumar Mawandia 30-4-2011

Balkrishna mawandia 30-4-2011

Rajesh Kumar Mawandia 30-4-2011

Sushil Kumar Mawandia 30-4-2011

Pushpa Devi Sarat 30-4-2011

Sarita Agrawal 30-4-2011

Renu Agrawal 30-4-2011

PRAKASH NARAYAN NOTARY BHAGALPUR GOVT. OF BIHAR 30/4/11

जायदाद उक्त बॅटवारा में हिस्से होकर मिला, उस उस पक्ष को अपने अपने हिस्से की अचल सम्पत्ति वाले भाग पर अपना अपना नाम दाखिल खारीज कराने वो टैक्स वो लगान अपने अपने हिस्से का अलग अलग अदाय करने में तथा चल सम्पत्ति के हिस्से में प्राप्त तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली रकम को अपने अपने कार्य में लेने में काफी कठिनाई वो परेशानी होने लगी, तथा लेख्यकारी प्रथम पक्ष ने अपना कुल हक अचल सम्पत्ति के निस्वत अपने अन्य तीन भाईयों के हक में छोड़ दिया तथा लेख्यकारी पंचम पंक्ष ने भी उक्त दोनों अचल वो चल सम्पत्ति में जो भी उनका हक, दावा वो अधिकार था उसे अपने भाईयों के हक में छोड़ दिया है तथा हटा वो उठा लिया, इस बात (आशय) का कोई लिखित प्रमाण नहीं रहने के कारण भी काफी परेशानी वो कठिनाई होने लगी, लेहाजा सभी पक्षों ने आपस में सलाह विचार कर यह उचित ठहराया कि उक्त खानगी बॅटवारा का एक लिखित यादास्त बॅटवारा सह एकरारनामा तय शर्तो के अनुसार आपस में तहरीर वो तामिल कर देवें, जिसमें तालिका खाना न0 5 के सिडुयल न0 1 वो 2 में वर्णीत सम्पत्ति में, जिस जिस पक्ष को बॅटवारा होकर जो हिस्से मिला, उसका पुर्ण बिबरण दिया गया हो, ताकि भविष्य में किसी भी पक्ष को अपने अपने हिस्से की चल वो अचल जायदाद को लेकर आपस में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई, अड़चन वो व्यवधान इस संबंध में न होने पावे। लेहाजा जरूरत तहरीर वो तामिल करने मेमोरेन्डम ऑफ पार्टीशन (यादास्त बॅटवारानामा सह फेमिली अरेन्जमेंट) दस्तावेज हाजा की हुई।

यह कि लेख्यकारीगण, बजरीये इस मेमोरेन्डम ऑफ पार्टीशन (यादास्त बॅटवारानामा सह फेमिली अरेन्जमेंट) दस्तावेज हाजा के यह एकरार मातवीर करते हैं वो लिख देते हैं कि उपरोक्त आपुसी खानगी बॅटवारा में दस्तावेज के तालिका खाना न0 5 के क्रमांक 1 में वर्णीत अचल सम्पत्ति में कोई भी हिस्सा श्री विजय कुमार मावंडिया (लेख्यकारी प्रथम पक्ष) को दस्तावेज में उपर लिखे मुताबिक नहीं दिया गया, बल्कि केवल तालिका खाना न0 5 के क्रमांक 2 में वर्णीत चल सम्पत्ति की रकम में से मोवलग 10,70,938/– दस लाख सत्तर हजार नो सौ अड़तीस रूपैया श्री विजय कुमार मावंडिया (लेख्यकारी प्रथम पक्ष) को वहैसियत सोलह आना मालिक के मिला, जिसका पुरा विवरण दस्तावेज के आखिर में सिडुयल "क" में दिया गया है, उक्त रकम में से मोवलग 9,40,000/– नो लाख चालीस हजार रूपैया, जो रकम कि स्वंय श्री विजय कुमार मावंडिया (लेख्यकारी प्रथम पक्ष) के यहॉ स्व0 वासुदेव प्रसाद मावंडिया HUF के नाम से बतौर कर्ज के जमा है, उसे समायोजित उक्त रकम में कर दिया तथा शेष रकम में से मोवलग 85,000/– पचासी हजार रूपैया श्री मनीष कुमार मावंडिया के यहॉ जो रकम बतौर कर्ज के जमा चला आता है, उसे उनसे श्री विजय कुमार मावंडिया (लेख्यकारी प्रथम पक्ष) वहैसियत सोलह आना मालिक के मय व्याज प्राप्त कर लेगें तथा शेष रकम मोवलग 45,938/– पैंतालिस हजार नो सौ अड़तीस रूपैया उक्त HUF के बैंक खाता से वजरीये चेक द्वारा प्राप्त कर

JAI PRAKASH NARAYAN NOTARY BHAGALPUR GOVT. OF BIHAR 30/4/11

Bijoy Kumar Mawandia 30-4-2011

Balkrishna Mawandia 30-4-2011

Rupa Devi Saraf 30-4-2011

Sarita Agrawal 30-4-2011

Renu Agrawal 30-4-2011

Rajesh Kumar Mawandia 30-4-2011

Sushil Kumar Mawandia 30-4-2011

लेगें। इस प्रकार लेख्यकारी प्रथम पक्ष अपने हिस्से की कुल HUF रकम को एडजस्ट वो प्राप्त कर लेगे।

यह कि उक्त आपुसी खानगी बॅटवारा में दस्तावेज के तालिका खाना न0 5 के क्रमांक 1 में वर्णीत अचल सम्पत्ति में श्री वालकृष्ण मावंडिया (लेख्यकारी द्वितीय पक्ष) को उक्त जायदाद के उत्तर तरफ का जो भाग हिस्सा में दिया गया, उसका रकवा 2511.58 वर्गफीट है तथा दस्तावेज के साथ संलग्न नक्शा में वह भाग हरा (Green) लाईन से घेरकर दिखाया गया है, जिस पर लेख्यकारी द्वितीय पक्ष वहैसियत सोलह आना मालिक के दखलकार है वो चले आते है। इसके अलावा तालिका खाना न0 5 के क्रमांक 2 में वर्णीत चल सम्पत्ति की रकम में से मोवलग 11,14,278/– ग्यारह लाख चौदह हजार दो सौ अठहत्तर रूपैया श्री वालकृष्ण मावंडिया (लेख्यकारी द्वितीय पक्ष) को वहैसियत सोलह आना मालिक के मिला, उपरोक्त दोनों अचल वो चल सम्पत्ति जो बॅटवारा होकर हिस्से में लेख्यकारी द्वितीय पक्ष के श्री वालकृष्ण मावंडिया को मिला, उसका पुरा विवरण दस्तावेज के आखिर में सिडुयल "ख" में दिया गया है। उक्त चल रकम के हिस्से की रकम में से मोवलग 10,20,308/– दस लाख बीस हजार तीन सौ आठ रूपैया, जो रकम कि स्वंय श्री वालकृष्ण मावंडिया (लेख्यकारी द्वितीय पक्ष) के यहॉ स्व0 वासुदेव प्रसाद मावंडिया HUF के नाम से बतौर कर्ज के जमा है, उसे समायोजित उक्त रकम में कर दिया तथा शेष रकम में से मोवलग 81,881/– ईकासी हजार आठ सौ ईकासी रूपैया श्री गिरधर गोपाल मावंडिया के यहॉ जो रकम बतौर कर्ज के जमा चला आता है, उसमें से, उनसे श्री वालकृष्ण मावंडिया (लेख्यकारी द्वितीय पक्ष) वहैसियत सोलह आना मालिक के मय व्याज प्राप्त कर लेगें तथा शेष रकम मोवलग 12,089/– बारह हजार नवासी रूपैया उक्त HUF के बैंक खाता से वजरीये चेक द्वारा प्राप्त कर लेगें। इस प्रकार लेख्यकारी द्वितीय पक्ष अपने हिस्से की कुल HUF रकम को एडजस्ट वो प्राप्त कर लेगे।

यह कि इसके अतिरिक्त उक्त आपुसी खानगी बॅटवारा में दस्तावेज के तालिका खाना न0 5 के क्रमांक 1 में वर्णीत अचल सम्पत्ति में श्री राजेश कुमार मावंडिया (लेख्यकारी तृतीय पक्ष) को उक्त जायदाद के बीच वाला भाग, जो पिछे तरफ पश्चिम तक सटा हुआ है वह भाग हिस्सा में दिया गया, जिसका रकवा 2511.58 वर्गफीट है तथा दस्तावेज के साथ संलग्न नक्शा में वह भाग पीला (Yelow) लाईन से घेर कर दिखाया गया है, जिस पर लेख्यकारी तृतीय पक्ष वहैसियत सोलह आना मालिक के दखलकार है वो चले आते है। इसके अलावा तालिका खाना न0 5 के क्रमांक 2 में वर्णीत चल सम्पत्ति की रकम में से मोवलग 11,27,330/– ग्यारह लाख सत्ताईस हजार तीन सौ तीस रूपैया श्री राजेश कुमार मावंडिया (लेख्यकारी तृतीय पक्ष) को वहैसियत सोलह आना मालिक के हिस्से में मिला, उपरोक्त दोनों अचल वो चल सम्पत्ति जो बॅटवारा होकर हिस्से में लेख्यकारी तृतीय पक्ष के श्री राजेश कुमार मावंडिया को मिला,

JAI PRAKASH NARAYAN
217
NOTARY
BHAGALPUR
30/4/11
GOVT OF BIHAR

Bijoy Kumar Mawandia
30.4.2011

Balkrishna Mawandia
30-4-2011

Rajesh Kumar Mawandia
30-4-2011

Sushil Kumar Mawandia
30-4-2011

Pushpa Devi Saraf
30-4-2011

Sanjay Agarwal
30.4.2011

Renu Agarwal
30.4.2011

7

उसका पुरा विवरण दस्तावेज के आखिर में सिडुयल "ग" में दिया गया है। उक्त चल रकम के हिस्से की रकम में से मोवलग 9,40,000/– नो लाख चालीस हजार रूपैया, जो रकम कि स्वंय श्री राजेश कुमार मावंडिया (लेख्यकारी तृतीय पक्ष) के यहॉ स्व0 वासुदेव प्रसाद मावंडिया HUF के नाम से बतौर कर्ज के जमा है, उसे समायोजित उक्त रकम में कर दिया तथा शेष रकम में से मोवलग 81,882/– ईकासी हजार आठ सौ बिरासी रूपैया श्री गिरधर गोपाल मावंडिया के यहॉ जो रकम बतौर कर्ज के HUF का जमा चला आता है, उसमें से श्री राजेश कुमार मावंडिया (लेख्यकारी तृतीय पक्ष) वहैसियत सोलह आना मालिक के प्राप्त कर लेगें तथा शेष रकम मोवलग 1,05,448/– एक लाख पांच हजार चार सौ अड़तालिस रूपैया, उक्त HUF के बैंक खाता से वजरीये चेक द्वारा प्राप्त कर लेगें । इस प्रकार लेख्यकारी तृतीय पक्ष अपने हिस्से की कुल HUF रकम को एडजस्ट वो प्राप्त कर लेगे।

यह कि इसी प्रकार उक्त आपुसी खानगी बॅटवारा में दस्तावेज के तालिका खाना न0 5 के क्रमांक 1 में वर्णीत अचल सम्पत्ति में श्री सुशील कुमार मावंडिया (लेख्यकारी चर्तुथ पक्ष) को उक्त जायदाद के दक्षिण तरफ का, जो भाग हिस्सा में दिया गया, उसका कुल रकवा 2511.58 वर्गफीट है तथा दस्तावेज के साथ संलग्न नक्शा में वह भाग ब्लु (Blue) लाईन से घेर कर दिखाया गया है, जिस पर लेख्यकारी चर्तुथ पक्ष वहैसियत सोलह आना मालिक के दखलकार है वो चले आते है। इसके अलावा तालिका खाना न0 5 के क्रमांक 2 में वर्णीत चल सम्पत्ति की HUF रकम में से मोवलग 10,99,538/– दस लाख निनानवे हजार पांच सौ अड़तीस रूपैया श्री सुशील कुमार मावंडिया (लेख्यकारी चर्तुथ पक्ष) को वहैसियत सोलह आना मालिक के मिला, उपरोक्त दोनों अचल वो चल सम्पत्ति जो बॅटवारा होकर हिस्से में लेख्यकारी चर्तुथ पक्ष के श्री सुशील कुमार मावंडिया को मिला, उसका पुरा विवरण दस्तावेज के आखिर में सिडुयल "घ" में दिया गया है। उक्त HUF की चल रकम के हिस्से की रकम में से मोवलग 1,13,600/– एक लाख तेरह हजार छः सौ रूपैया श्रीमति बबीता मावंडिया के यहॉ जो रकम बतौर कर्ज के HUF का जमा चला आता है, उनसे उक्त रकम को श्री सुशील कुमार मावंडिया (लेख्यकारी चर्तुथ पक्ष) वहैसियत सोलह आना मालिक के प्राप्त कर लेगें तथा शेष रकम मोवलग 985,938/– नो लाख पचासी हजार नो सौ अड़तीस रूपैया, उक्त HUF के बैंक खाता से वजरीये चेक द्वारा प्राप्त कर लेगें। इस प्रकार लेख्यकारी चर्तुथ पक्ष अपने हिस्से की कुल HUF की रकम को एडजस्ट वो प्राप्त कर लेगे।

यह कि इस प्रकार जिस जिस पक्ष को, तालिका खाना न0 5 के क्रमांक 1 में वर्णीत अचल सम्पत्ति में जो जो भाग हिस्से में बॅटवारा होकर मिला, जिसका विवरण दस्तावेज के आखिर में वर्णीत सिडुयल में दिया गया है उस उस भाग पर वह वह पक्ष अपना अपना नाम भागलुपर नगर निगम पंजी वो भी जगदीशपुर अंचल पंजी में दर्ज करा कर अपने अपने हिस्से की जायदाद का अलग अलग

Bijoy Kumar Mawandia
30·4·2011

Balkrishna Mawandia
30-4-2011

8

Rakesh Kumar Mawandia
30-4-2011

Sushil Kumar Mawandia
30-4-2011

Rupa Devi Saraf
30-4-2011

Sunil Agrawal
30.4.2011

Renu Agrawal
30.4.2011

टैक्स वो लगान अदाय किया करे तथा चल सम्पत्ति के हिस्से में प्राप्त होने वाली रकम को अपने अपने कार्य में वतौर मालिक के उपभोग करें। इसमें किसी भी पक्ष को कोई उजुर वो एतराज नही है वो न करेगें। एक पक्ष को मिले हिस्से या रकम से अन्य किसी भी पक्ष को कोई ईलाका या सरोकार बाद इस आपसी बॅटवारा के न है वो न रहा, यदि करें या करावें तो वह कानुनन अमान्य वो गैरकानुनी माना वो समझा जायेगा।

यह कि इसके अलावा पक्षकार दस्तावेज हाजा के बीच यह भी तय पाया कि वासुदेव प्रसाद मावंडिया HUF के नाम से, उक्त बैंक में जमा राशी पर भविष्य में, यदि और कोई रकम वतौर व्याज के जमा होगी तो उसे श्री बाल कृष्ण मावंडिया (लेख्यकारी द्वितीय पक्ष) पाने के हकदार माने जायेगें, लेकिन भविष्य में यदि वासुदेव प्रसाद मावंडिया HUF के नाम से कोई इनकमटैक्स रिर्टन दाखिल करना हो या कोई इनकम टैक्स राशी जमा करनी पड़े या कोई इनकम टैक्स राशी वतौर रिफंड के प्राप्त हो, तो उसे श्री बाल कृष्ण मावंडिया प्राप्त कर, चारों भाई (लेख्यकारी प्रथम पक्ष लगायत लेख्यकारी चर्तुथ पक्ष) के बीच बराबर बराबर बॉट कर अदाय करने के पायबंद है वो माने जायेगें। जब तक वासुदेव प्रसाद मावंडिया HUF के नाम से आने वो बॅटवारा द्वारा हस्तांतरित होकर जाने वाली कुल राशी हिस्सेदारों के हाथों में हिस्से के मुताबिक प्राप्त नही हो जाती वो भविष्य में मिलने वाली राशी का भी यथोचित भुगतान नही हो जाता, तब तक वासुदेव मावंडिया HUF के नाम से बैंक में श्री वालकृष्ण मावंडिया द्वारा संचालित खाता उसी प्रकार चलता रहेगा और उचित समय आने पर उक्त बैंक खाता को वालकृष्ण मावंडिया बन्द कर देने के लिये पुर्ण रूप से अधिकृत माने जायेगें। इसी प्रकार उक्त पैत्रिक अचल जायदाद पर यदि कोई सरकारी वो गैर सरकारी राशी उक्त बॅटवारा के पुर्व की देय होगी तो उसका भुगतान करने के लिये केवल उपरोक्त तीन भाई ही, जिनको जिनको उक्त अचल जायदाद में हिस्सा मिला है, उसे संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर बराबर अदाय करने के पायबंद हैं वो माने जायगें।

यह कि दस्तावेज के साथ संलग्न नक्शा दस्तावेज का एक अंग है। उक्त बॅटवारा में आगे पिछे की जायदाद तथा मालियत वो अन्य सारी बातों को घ्यान में रखकर किया गया है, जिससे सभी पक्ष अपने अपने हिस्से की जायदाद से संतुष्ट होकर वो समायोजित करते हुअे यह बॅटवारा अपनी अपनी राजी खुशी से बिना किसी दबाब वो धमकाव के किया गया है।

वाजे रहे कि स्व0 वासुदेव प्रसाद मावंडिया के हिस्से की एक और अचल पैत्रिक जायदाद उदयपुर, राजस्थान, जिला झुंझनु में है, उक्त जायदाद उपरोक्त चारों भाई श्री विजय कुमार मावंडिया, श्री बाल कृष्ण मावंडिया, श्री राजेश कुमार मावंडिया एवं श्री सुशील कुमार मावंडिया, (लेख्यकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चर्तुथ पक्ष) के बीच सम्मिलित वो संयुक्त रूप से वहिस्सा बराबर के है वो रहा। साथ ही उक्त बॅटवारा के अनुसार सभी पक्ष जिनको जिनको तालिका खाना न0

Bijoy Kumar Mawandia 30.4.2011 Balkrishna Mawandia 30-4-2011

Rajesh Kumar Mawandia 30-4-2011 Sushil Kumar Mawandia 30-4-2011

Pushpa Devi Sarat 30-4-2011

Sonia Agrawal 30-4-2011

Ramu Agrawal 30-4-2011

NOTARY BHAGALPUR 30/4/11 GOVT. OF BIHAR

5 के क्रमांक 1 के सिडुियल में वर्णीत अचल जायदाद में जो जो हिस्सा मिला, वह सभी पक्ष अपने अपने हिस्से वाले भाग में जल्द से जल्द आपसी सहमति वो सामंजस्य से अपना अपना योगदान कर लेगें, ताकि किसी भी पक्ष को कोई असुविधा न होने पावे।

इसलिये लेख्यकारीगण दस्तावेज हाजा ने किये गये आपुसी बँटवारा के अनुसार तथा तय शर्तो के मुताबिक यह मेमोरेन्डम ऑफ पार्टीशन (यादास्त बँटवारानामा सह फेमिली अरेन्जमेंट) दस्तावेज, अपने अपने राजी खुशी से बिना किसी जबर वो दबाब वो धमकाव के, तथा दस्तावेज हाजा में लिखी गई कुल बातों को पढ़कर, सुनकर वो समझकर तथा पुर्ण रूप से संतुष्ट हाकर गवाहान के समक्ष वहक एक दुसरे के लिख दिया ताकि प्रमाण रहे।

"सिडुल "क"

(तालिका जायदाद जो बँटवारा होकर लेख्यकारी प्रथम पक्ष के श्री विजय कुमार मावंडिया को वहैसियत सोलह आना मालिक के हिस्से में मिला)

वासुदेव प्रसाद मावंडिया HUF के नाम से कुल जमा राशी मय व्याज सहित, बैंक खाता या वतौर कर्ज हिस्सेदारों या अन्य लोगें के पास दिनांक 31.03.2011 तक जमा है, उस राशी में से बँटवारा होकर हिस्से में मोवलग 10,70,938/– दस लाख सत्तर हजार नो सौ अड़तीस रूपैया श्री विजय कुमार मावंडिया (लेख्यकारी प्रथम पक्ष) को वहैसियत सोलह आना मालिक के दिया गया, जिसका भुगतान निम्न प्रकार से किया गया वो होगा ।

Rupa Devi Saraf 30-4-2011

Sunil Agarwal 30-4-2011

उक्त रकम में से मोवलग 9,40,000/– नो लाख चालीस हजार रूपैया, जो रकम कि स्वंय श्री विजय कुमार मावंडिया (लेख्यकारी प्रथम पक्ष) के यहाँ स्व0 वासुदेव मावंडिया HUF के नाम से बतौर कर्ज के जमा है, उसे समायोजित उक्त रकम में कर दिया तथा शेष रकम में से मोवलग 85,000/– पचासी हजार रूपैया श्री मनीष कुमार मावंडिया के यहाँ जो रकम बतौर कर्ज के HUF का जमा चला आता है, उसे उनसे श्री विजय कुमार मावंडिया (लेख्यकारी प्रथम पक्ष) वहैसियत सोलह आना मालिक के प्राप्त कर लेगें तथा शेष रकम मोवलग 45,938/– पैंतालिस हजार नो सौ अड़तीस रूपैया उक्त HUF के बैंक खाता से वजरीये चेक द्वारा प्राप्त कर लेगें। इस प्रकार कुल HUF के हिस्से की चल रकम का भुगतान श्री विजय कुमार मावंडिया को हो गया, यह माना जायेगा।

"सिडुल "ख"

(तालिका जायदाद जो बँटवारा होकर लेख्यकारी द्वितीय पक्ष के श्री बालकृष्ण मावंडिया को वहैसियत सोलह आना मालिक के हिस्से में मिला)

Bijoy Kumar Mawandia
30-4-2011

Balkrishna Mawandia
30-4-2011

Renu Agarwal 30-4-2011

Rakesh Kumar Mawandia
30-4-2011

Sushil Kumar Mawandia
30-4-2011

1. हक हिस्सा सोलह आना, निस्वत अराजी वसोवासी मय पुराना रेहायसी मकान के उत्तर तरफ वाला भाग, जिस तरह अराजी मजकुर पर वाके है, मय कुल लेवाजमात के, जिसका कुल रकवा 2511.58 वर्गफीट है तथा **दस्तावेज के साथ उपरोक्त संलग्न नक्शा में वह भाग हरा (Green) लाईन से** घेरकर दिखाया गया है, जो कि अंचल जगदीशपुर के जमाबंदी के अनुसार 0. 233.33 हैक्टर होता है। वाके महल्ला चुनिहारी टोला, रामेश्वर नारायण अग्रवाल रोड़, भागलपुर, अन्दर भागलपुर नगर निगम, वार्ड संख्या 3/8 पुराना एवं वर्तमान वार्ड संख्या 19 में अवस्थित है। तथा जो साबिक होल्डिंग नं0 27 का पार्ट तथा वर्तमान होल्डिंग न0 59 का पार्ट है, अन्दर थाना कोतवाली, निबंधन कार्यालय वो जिला भागलपुर के हैं। अंचल जगदीशपुर, वजमींदारी बिहार सरकार तथा जिसका सर्वे खाता नं0 284 खेसरा नं0 279 का पार्ट वो सर्वे वार्ड संख्या 8 अन्दर जमाबंदी न0 284 के है। उपरोक्त वर्णीत जायदाद की चौहद्दी निम्नलिखित है।

उत्तर :– मंदिर कॉमन गली वो आाजाद ट्रांसपोर्ट बादहुँ अंजनी कु0 मावंडिया वगैरह

दक्षिण :– हिस्सा श्री राजेश कुमार मावंडिया (लेख्यकारी तृतीय पक्ष)

पुरव :– रामेश्वर नारायण अग्रवाल रोड

पश्चिम :– आजाद ट्रांसपोर्ट

2. वासुदेव मावंडिया HUFके नाम से कुल जमा राशी मय व्याज सहित, बैंक खाता या वतौर कर्ज हिस्सेदारों या अन्य लोगें के पास दिनांक 31.03. 2011 तक जमा है, उस राशी में से बॅटवारा होकर हिस्से में मोवलग 11,14,278/– ग्यारह लाख चौदह हजार दो सौ अठहत्तर रूपैया श्री वालकृष्ण मावंडिया (लेख्यंकारी द्वितीय पक्ष) को वहैसियत सोलह आना मालिक के मिला, जिसका भुगतान निम्न प्रकार से किया गया ।

JAI PRAKASH NARAYAN NOTARY BHAGALPUR GOVT. OF BIHAR

उक्त रकम में से मोवलग 10,20,308/– दस लाख बीस हजार तीन सौ आठ रूपैया, जो रकम कि स्वंय श्री वालकृष्ण मावंडिया (लेख्यकारी द्वितीय पक्ष) के यहॉ स्व0 वासुदेव मावंडिया HUFके नाम से बतौर कर्ज के जमा है, उसे समायोजित उक्त रकम में कर दिया तथा शेष रकम में से मोवलग 81,881/– ईकासी हजार आठ सौ ईकासी रूपैया श्री गिरधर गोपाल मावंडिया के यहॉ जो रकम बतौर कर्ज के HUFके नाम से जमा चला आता है, उसमें से, उनसे श्री वालकृष्ण मावंडिया (लेख्यकारी द्वितीय पक्ष) वहैसियत सोलह आना मालिक के प्राप्त कर लेगें तथा शेष रकम मोवलग 12,089/– बारह हजार नवासी रूपैया उक्त HUFके बैंक खाता से वजरीये चेक द्वारा प्राप्त कर लेगें। इस प्रकार कुल HUF के हिस्से की चल रकम का भुगतान श्री वाल कृष्ण मावंडिया को हो गया, यह माना जायेगा।

Bijoy Kumar Mawandia 30-4-2011

Balkrishna Mawandia 30-4-2011

Pushpa Devi Saraf 30-4-2011

Sarita Agrawal 30-4-2011

Renu Agrawal 30-4-2011

Rajesh Kumar Mawandia 30-4-2011

Sushil Kumar Mawandia 30-4-2011

"सिडुल "ग"

(तालिका जायदाद जो बॅटवारा होकर लेख्यकारी तृतीय पक्ष के श्री राजेश कुमार मावंडिया को वहैसियत सोलह आना मालिक के हिस्से में मिला)

1. हक हिस्सा सोलह आना, निस्वत अराजी वसोवासी मय पुराना रेहायसी मकान के बीच वाला भाग, जो पिछे तरफ पश्चिम तक सटा हुआ है तथा जिस तरह अराजी मजकुर पर वाके है, मय कुल लेवाजमात के, जिसका कुल रकवा 2511.58 वर्गफीट है तथा दस्तावेज के साथ उपरोक्त संलग्न नक्शा में वह भाग पीला (Yelow) लाईन से घेर कर दिखाया गया है, जो कि अंचल जगदीशपुर के जमाबंदी के अनुसार 0.233.33 हैक्टर होता है। वाके महल्ला चुनिहारी टोला, रामेश्वर नारायण अग्रवाल रोड़, भागलपुर, अन्दर भागलपुर नगर निगम, वार्ड संख्या 3/8 पुराना एवं वर्तमान वार्ड संख्या 19 में अवस्थित है। तथा जो साबिक होल्डिंग नं0 27 का पार्ट तथा वर्तमान होल्डिंग न0 59 का पार्ट है, अन्दर थाना कोतवाली, निबंधन कार्यालय वो जिला भागलपुर के हैं। अंचल जगदीशपुर, वजमींदारी बिहार सरकार तथा जिसका सर्वे खाता नं0 284 खेसरा नं0 279 का पार्ट वो सर्वे वार्ड संख्या 8 अन्दर जमाबंदी न0 284 के है। उपरोक्त वर्णीत जायदाद की चौहद्धी निम्नलिखित है।

उत्तर :– हिस्सा श्री वाल कृष्ण मावंडिया (लेख्यकारी द्वितीय पक्ष)
दक्षिण :– हिस्सा श्री सुशील कुमार मावंडिया (लेख्यकारी चर्तुथ पक्ष)
पुरव :– रामेश्वर नारायण अग्रवाल रोड
पश्चिम :– आजाद ट्रांसपोर्ट

Pushpa Devi Saraf 30-4-2011

JAI PRAKASH NARAYAN NOTARY BHAGALPUR 30/4/11 GOVT. OF BIHAR

2. वासुदेव मावंडिया HUF के नाम से कुल जमा राशी मय व्याज सहित, बैंक खाता या वतौर कर्ज हिस्सेदारों या अन्य लोगें के पास दिनांक 31.03.2011 तक जमा है, उस राशी में से बॅटवारा होकर हिस्से में मोवलग 11,27,330/– ग्यारह लाख सत्ताईस हजार तीन सौ तीस रूपैया श्री राजेश कुमार मावंडिया (लेख्यकारी तृतीय पक्ष) को वहैसियत सोलह आना मालिक के मिला, जिसका भुगतान निम्न प्रकार से किया गया।

Sunita Agrawal 30-4-2011

उक्त रकम में से मोवलग 9,40,000/– नो लाख चालीस हजार रूपैया, जो रकम कि स्वंय श्री राजेश कुमार मावंडिया (लेख्यकारी तृतीय पक्ष) के यहॉ स्व0 वासुदेव मावंडिया HUF के नाम से बतौर कर्ज के जमा है, उसे समायोजित उक्त रकम में कर दिया तथा शेष रकम में से मोवलग 81,882/– ईकासी हजार आठ सौ बिरासी रूपैया श्री गिरधर गोपाल मावंडिया के यहॉ जो रकम बतौर कर्ज के HUF के नाम से जमा चला आता है, उनसे श्री राजेश कुमार मावंडिया (लेख्यकारी तृतीय पक्ष) वहैसियत सोलह आना मालिक के प्राप्त कर लेगें तथा

Bijoy Kumar Mawandia 30.4.2011 Balkrishna Mawandia 30-4-2011

Renu Agrawal 30-4-2011

Rajesh Kumar Mawandia 30-4-2011 Sushil Kumar Mawandia 30-4-2011

शेष रकम मोवलग ,1,05,448/– एक लाख पांच हजार चार सौ अड़तालिस रूपैया, उक्त HUF के बैंक खाता से वजरीये चेक द्वारा प्राप्त कर लेगें । इस प्रकार कुल HUF के हिस्से की चल रकम का भुगतान श्री राजेश कुमार मावंडिया को हो गया, यह माना जायेगा।

"सिडुल "घ"

(तालिका जायदाद जो बँटवारा होकर लेख्यकारी चर्तुथ पक्ष के श्री सुशील कुमार मावंडिया को वहैसियत सोलह आना मालिक के हिस्से में मिला)

1. हक हिस्सा सोलह आना, निस्वत अराजी वसोवासी मय पुराना रेहायसी मकान के दक्षिण तरफ वाला भाग, जिस तरह अराजी मजकुर पर वाके है, मय कुल लेवाजमात के, जिसका कुल रकवा 2511.58 वर्गफीट है तथा दस्तावेज के साथ उपरोक्त संलग्न नक्शा में वह भाग ब्लु (Blue) लाईन से घेर कर दिखाया गया है, जो कि अंचल जगदीशपुर के जमाबंदी के अनुसार 0.233. 34 हैक्टर होता है। वाके महल्ला चुनिहारी टोला, रामेश्वर नारायण अग्रवाल रोड़, भागलपुर, अन्दर भागलपुर नगर निगम, वार्ड संख्या 3/8 पुराना एवं वर्तमान वार्ड संख्या 19 में अवस्थित है। तथा जो साबिक होल्डिंग नं0 27 का पार्ट तथा वर्तमान होल्डिंग न0 59 का पार्ट है, अन्दर थाना कोतवाली, निबंधन कार्यालय वो जिला भागलपुर के हैं। अंचल जगदीशपुर, वजमींदारी बिहार सरकार तथा जिसका सर्वे खाता नं0 284 खेसरा नं0 279 का पार्ट वो सर्वे वार्ड संख्या 8 अन्दर जमाबंदी न0 284 के है। उपरोक्त वर्णीत जायदाद की चौहद्धी निम्नलिखित है।

उत्तर :– हिस्सा श्री राजेश कुमार मावंडिया (लेख्यकारी तृतीय पक्ष)
दक्षिण :– खण्डेलवाल परीवार वो स्व0 डा0 युनुस परिवार
पुरव :– रामेश्वर नारायण अग्रवाल रोड
पश्चिम :– स्व0 डा0 युनुस परिवार

PRAKASH NARAYAN NOTARY BHAGALPUR 30/4/11 GOVT OF BIHAR

2. वासुदेव मावंडिया HUF के नाम से कुल जमा राशी मय व्याज सहित, बैंक खाता या वतौर कर्ज हिस्सेदारों या अन्य लोगें के पास दिनांक 31.03.2011 तक जमा है, उस राशी में से बँटवारा होकर हिस्से में मोवलग 10,99,538/– दस लाख निनानवे हजार पांच सौ अड़तीस रूपैया श्री सुशील कुमार मावंडिया (लेख्यकारी चर्तुथ पक्ष) को वहैसियत सोलह आना मालिक के मिला, जिसका भुगतान निम्न प्रकार से किया गया।

उक्त रकम में से मोवलग 1,13,600/– एक लाख तेरह हजार छः सौ रूपैया श्रीमति बबीता मावंडिया के यहॉ जो रकम बतौर कर्ज के HUF के नाम से जमा चला आता है, उनसे उक्त रकम को श्री सुशील कुमार मावंडिया (लेख्यकारी चर्तुथ पक्ष) वहैसियत सोलह आना मालिक के प्राप्त कर लेगें तथा

Bijoykumar mawandia 30.4.2011

Balkrishna mawandia 30-4-2011

Rajesh Kumar Mawandia 30-4-2011

Susil Kumar Mawandia 30-4-2011

Rupa Devi Saraf 30-4-2011

Sanjay Agrawal 30-4-2011

Renu Agrawal 30.4.2011

शेष रकम मोवलग 9,85,938/– नो लाख पचासी हजार नो सौ अड़तीस रूपैया, उक्त HUF के बैंक खाता से वजरीये चेक द्वारा प्राप्त कर लेगें। इस प्रकार कुल HUF के हिस्से की चल रकम का भुगतान श्री सुशील कुमार मावंडिया को हो गया, यह माना जायेगा।

वाजे रहे कि इस दस्तावेज की हुवहु पांच प्रति मय संलग्न नक्शा के तैयार की गई है। सभी प्रति मय नक्शा के मुल प्रति मानी जायेगी। एक एक प्रति प्रत्येक पक्ष के जिम्मे वास्तें आईन्दे सबुत के रहेगा।

आज तारीख 30 माह अप्रेल सन 2011 ई0.

हस्ताक्षर गवाहान

Suman Devi Mawandia
22 गोदाम गोदाम नं. सात के सामने
जयपुर 30-4-2011

Raj Kumar Mawandia
22 godown, opp. Godown-6
Jaipur-302006
30.4.2011

Raj Mawandia
opp. Godown no. 6
22. Godown
Jaipur 30.4.11

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] – 30/4/2011

GIRIDHAR GOPAL MAWANDIA
S/o ANJANI KUMAR MAWANDIA
R.N AGARWAL ROAD
BHAGALPUR-2
THANA :- KOTWALI
30.4.2011

Ramanur Sinha
टंकक वो गवाह 30/4/11
रमण कुमार सिंहा, सुजागंज
भागलपुर।

हस्ता0 लेख्यकारी प्रथम पक्ष

1. Bijoy Kumar Mawandia
30-4-2011

हस्ता0 लेख्यकारी द्वितिय पक्ष

2. Balkrishna Mawandia
30-4-2011

हस्ता0 लेख्यकारी तृतीय पक्ष

3. Rajesh Kumar Mawandia
30-4-2011

हस्ता0 लेख्यकारी चर्तुथ पक्ष

4. Sushil Kumar Mawandia
30-4-2011

हस्ता0 लेख्यकारी पंचम पक्ष

5. Pushpa Devi Sarat
30-4-2011

6. Renu Agrawal
30-4-2011

7. Sarita Agrawal
30-4-2011

Attested
Jai Prakash Narayan
NOTARY, Bhagalpur 30/4/11

JAI PRAKASH NARAYAN
NOTARY
BHAGALPUR
30/4/11
GOVT. OF BIHAR

PARTITION PLAN OF HOLDING No. 59 NEW, WARD No. 19 NEW, SITUATED ON R. N. AGRAWAL ROAD, MOHALLA CHUNIHARI TOLA, P.S. KOTWALI, UNDER THE MUNICIPAL CORP. BHAGALPUR SURVEY WARD No. 8, KHATA No. 284, KHESRA No. 279

SCALE 1" = 16'

COLOUR	NAME	AREA
BLUE	SRI SHUSHIL KUMAR MAWANDIA	2511.58 SQ FT
YELLOW	SRI RAJESH KUMAR MAWANDIA	2511.58 SQ FT
GREEN	SRI BALKRISHNA MAWANDIA	2511.58 SQ FT
	TOTAL =	7534.74 SQ FT

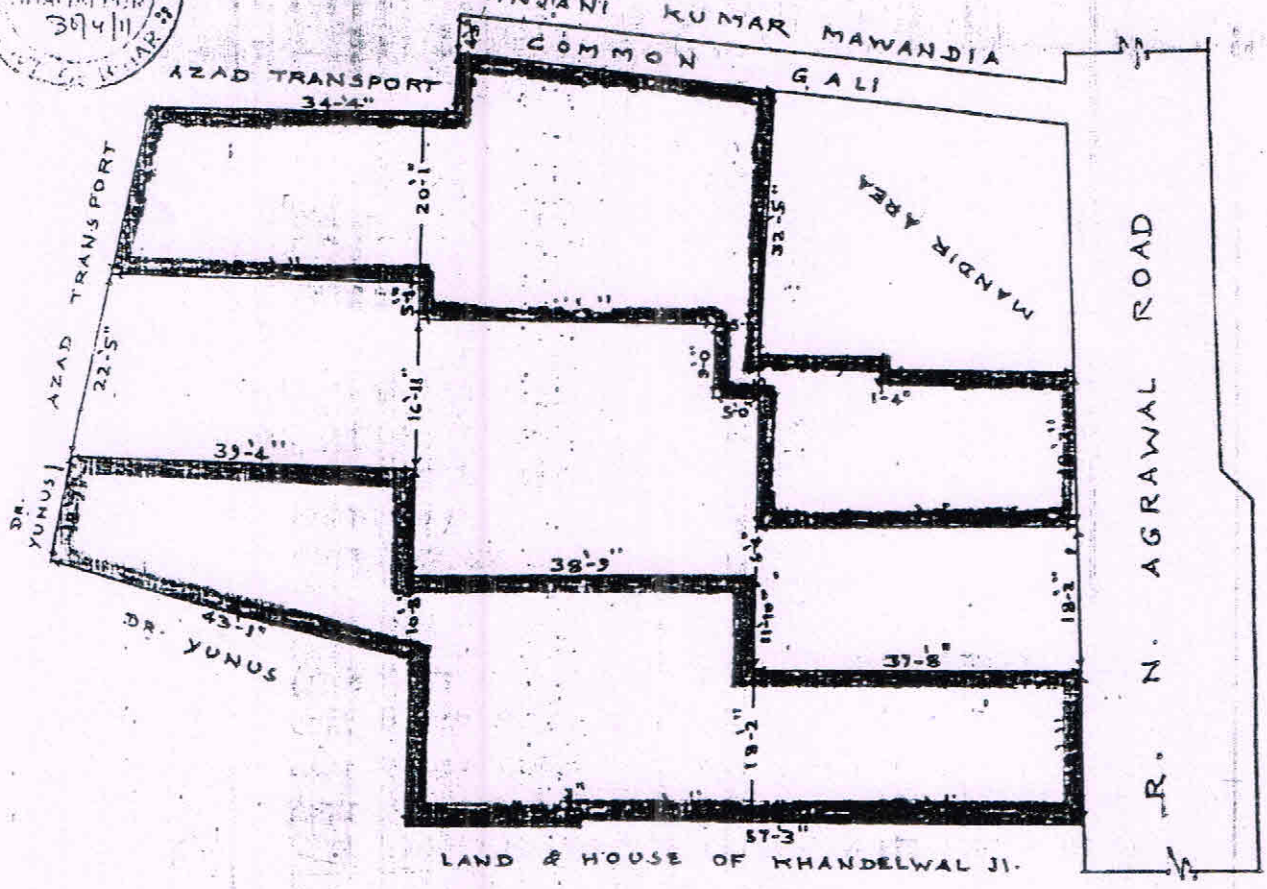

Balkrishna mawandia
30-4-2011

Rajesh kumar Mawandia
30-4-2011

Sushil Kumar Mawandia
30-4-2011

DRAWN BY

Sanjiv Agrawal
30.4.2011

SIG. OF PARTITIONER